तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-2-19	पत्रावली पेश हुई आदेश सुनाया गया वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **लाखेरी जिला बून्दी**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 9 / दावा / 17 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :— 01.02.2017 गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. लक्ष्मण लाल आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. हीरालाल आयु 45 वर्ष आ0 रामनारायण जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. मुकेश आयु 40 वर्ष आ0 रामनारायण जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. महेन्द्र आयु 35 वर्ष आ0 रामनारायण जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

— वादीगण —

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज0)

— प्रतिवादी —

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 टिनेन्सी एक्ट
व धारा 136 राज0लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 22.02.2019

वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ के विरूद्व प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ के खसरा नं0 619 / 496 रकबा 4 बीघा वादीगण के पिता रामनारायण के नाम नामान्तकरण संख्या 177 से गैरखोतदार के रूप में दर्ज की गई थी। बन्दोबस्त 2041 से 2060 के दौरान खसरा नं0 496 के नये खसरा नं0 1365 कायम किये गये जो सही है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये खसरा नं0 496 का रकबा 4 बीघा के 0.35 हैक्टेयर वादीगण के पिता रामनारायण के खाते दर्ज कर दिया गया और शेष रकबा 0.29 हैक्टेयर को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवायचक पुराने खसरा नं0 496 में मिलाकर नया खसरा नं0 1364 रकबा 0.75 हैक्टेयर कायम कर दिया गया। बन्दोबस्त विभाग को रकबा कम करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 के प्श्चात भी 4 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चले आ रहे है। और अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावें।

[Type text]

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से इनकार करते हुये जवाब दावा पेश कर वाद पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई। उभयपक्षकारान के आधार पर पर्चा तनकीयात कायम की गई। वादीगण की और से दस्तावेज साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श 1, नकल नामान्तकरण प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2028 से 2030 प्रदर्श 3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, खसरा मिलान क्षैत्रफल 2041 से 2060 प्रदर्श 5, मिसल बन्दोबस्त 2041 से 2060 प्रदर्श 6,7,8 व 10 नक्शा ट्रेस प्रदर्श 9, नोटिस पति प्रदर्श 11, जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 प्रदर्श 12, नकल जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 प्रदर्श 12, खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 13, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 14, 15, खसरा परिवर्तनशील 17,18, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 19, खसरा बन्दोबस्त प्रदर्श 20, खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 21, नकल निर्णय प्रदर्श 22, रामनारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र व वादीगण के आधारकार्ड मतदाता सूची की प्रतियां पेश की गई व मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 लक्ष्मण लाल सैनी, पी.डब्लू. 2 सत्यनारायण, पी.डब्लू 3 छीतरलाल के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता व सरकार पैरोकार अन्तिम बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि सेटलमेन्ट विभाग को रकबा कम करने का अधिकार नही हैं। वादीगण के पिता रामनारायण के खाते में 4 बीघा भूमि थी। जिसके हैक्टयर प्रति अनुसार पदृति अनुसार 0.64 हैक्टयर बनते है। जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 4 बीघा के 0.35 हैक्टयर कायम किये गये। शेष रकबा 0.29 हैक्टयर को सिवायचक नम्बर में मर्ज कर दिया गया। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांत RLW 2017 पार्ट I पेज नं0 224 RLW 2015 पेज नं0 368, RLW 2016 पेज नं0 1 प्रस्तुत किये गये। और अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद पत्र डिकी फरमाया जावें। सरकारी पेरौकार की और से बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये दावा वादीगण खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा उभयपक्षें की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत नजीरों व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 1</u> :– वाद विषयक आराजी का बन्दोबस्त सर्वे 2041 से 2060 के दौरान कृषि भूमि खसरा नं0 496 के नये खसरा संख्या 1365 कायम किये गये। पुराने खसरा संख्या 496 का रकबा 4 बीघा के 0.35 हैक्टयर वादीगण के पिता रामनारायण के खाते में दर्ज किया। शेष रकबा 0.29 हैक्टयर को सिवायचक पुराने खसरा नं0 496 मिलाकर नया खसरा नं0 1364 रकबा 0.75 हैक्टयर कायम कर दिया।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। हमारे द्वारा नकल खसरा मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 5 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पुराने खसरा नं0 496 मिन रकबा 4 बीघा के नये खसरा नं0 1365 रकबा 0.35 हैक्टयर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम किया जाना स्पष्ट है। इसी सन्दर्भ में नकल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श 1 के अनुसार वादीगण के पिता रामनारायण के खाते में 4 बीघा भूमि बतौर गैरखातेदार के रूप में दर्ज थी। नकल खसरा बन्दोबस्त प्रदर्श 20 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार भी पुराने खसरा नं0 496 का कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा अंकित है। जबकि सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा पुराने खसरा नं0 496 का कुल रकबा 2.32 हैक्टयर कायम किया गया। जो पुराने रकबे से अधिक है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण के पिता रामनारायण के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

लगातार

खाते की कृषि भूमि कम करते हुये नये खसरा नं0 1364 में मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 619/496 रकबा 4 बीघा थी जो नामान्तकरण संख्या 177 से वादीगण के पिता रामनारायण आत्मज फून्दीलाल जाति माली सा0 देह गैरखातेदार के रूप में चली आ रही है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी की रोशनी में नकल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श 1 व नामान्तकरण संख्या 177 प्रदर्श क्रमशः 1, 2 से यह साबित है कि खसरा नं0 619/496 रकबा 4 बीघा भूमि वादीगण के पिता रामनारायण के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज थी। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– वादीगण के पिता व पिता की मृत्यु के बाद वादीगण लगातार आज तक पुराने खसरा नं0 496 रकबा 4 बीघा पर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज काश्त रहकर कृषि लाभ प्राप्त करते आ रहे है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। हमारे द्वारा खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 18, खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 21, सम्वत 2072 फसल खरीफ के अनुसार खसरा नं0 1364 रकबा 0.75 हैक्टयर मे से 0.30 हैक्टयर पर वादी लक्ष्मण लाल का बगीचा अमरूद का दर्शाया हुआ हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि पुराने खसरा नं0 496 रकबा 4 बीघा पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता रामनारायण की मृत्यु 24.01.2012 को हो चुकी है। इस प्रकार दस्तावेजो से यह साबित है कि वादीगण 4 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 4 :– वादीगण खसरा संख्या 1364 रकबा 0.75 हैक्टयर मे से 0.29 हैक्टयर पर खातेदार घोषित करवाने व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। यह तनकी तनकी संख्या 1 से सम्बन्धित है। तनकी संख्या 1 को वादीगण पूर्णतया साबित करने मे सफल रहे है। इस कारण वादीगण को खसरा नं0 1364 रकबा 0.75 हैक्टयर मे से 0.29 पर खातेदार घोषित करवाने एवं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकार हैं। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयों के विवेचन करने के पश्चात वादीगण यह साबित करने मे सफल रहे है कि पुराने खसरा नं0 496 का रकबा 4 बीघा में से 0.29 हैक्टयर भूमि को सिवायचक खसरा नं. 1364 मे मर्ज कर दिया गया। जबकि पूर्व रकबा अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण की और से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं0 1364 रकबा 0.75 हैक्टयर वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी के रकबे मे से 0.29 हैक्टयर पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर खसरा नं0 1364 रकबा 0.75 हैक्टयर मे से 0.29 हैक्टयर वादीगण के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज रहेगी। तथा शेष रकबा 0.46 हेक्टयर सिवायचक दर्ज रिकार्ड रहेगी। एवं तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि मौजा मोहनपुरा तहसील पीपल्दा सब तहसील इन्द्रगढ ठिकाना इन्द्रगढ जिला कोटा डिविजन कोटा राजस्थान सन् 1948 से 1949 के द्वारा तरमीम नक्शे अनुसार वादीगण को खसरा नं0 1364 रकबा 0.75 हैक्टयर मे से 0.29 हैक्टयर पर खातेदार कृषक दर्ज करते हुये इस तरमीम नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में

[Type text]

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

तरमीम किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

[Type text]

लगातार

अंतिम डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास गोरधन लाल मीना (R.A.S.)

1 भंवरलाल आत्मज रामनारायण बनाम 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़
जाति माली निवासी मोहनपुरा जिला बून्दी
तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह जिला
बून्दी
(वादीगण) (प्रतिवादी)

दावा बाबत 88, 89, 188 RTA व धारा 131 LR Act

मुकदमा नम्बर 9/दावा/2017 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी
श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि
वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर ख. नं. 1364 रकबा 0.75 हैक्टर वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के रकबे मे से 0.29 हैक्टर पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.75 हैक्टर मे से 0.29 हैक्टर वादीगण के नाम खातेदार कृषक के रूप मे दर्ज रहेगी तथा शेष रकबा 0.46 हैक्टर सिवायचक दर्ज रिकार्ड रहेगी। एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मौजा मोहनपुरा तहसील बीपल्दा सब तहसील इन्द्रगढ़ ठिकाना इन्द्रगढ़ जिला कोटा डिवीजन कोटा राज. सन 1948 से 1949 के द्वारा तरमीम नक्शे

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन क्रमशः PT.O
मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-2-2019 माह
सन को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. हीरालाल आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

3. मुकेश आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

4. महेन्द्र आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

---वादीगण---

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

क्रमशः— अनुसार वादीगण को खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.75 हैक्टर में से 0.29 हैक्टर पर खातेदार कृषक दर्ज करते हुए उक्त नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी